संख्या-157/2020/4137/71-1-2020-जी-94/2018टी0सी0

प्रेषक

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 07 दिसम्बर, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में मेडिकल कालेज, आजमगढ़ हेतु मानक मद- 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2020-21/512, दिनॉक 06-11-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में मानक मद-01-वेतन में रू0 150.00 लाख की बचत को राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ हेतु मानक मद-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में रू0 150.00 लाख (रू0 एक करोड़ पचास लाख मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24.03.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

4- जिस मद में धनराशि संक्रमित की जा रही हे, में बचत की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा।

5- जिस मद में धनराशि संक्रमित की जा रही है, में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

6- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में कर लिया जायेगा।

7- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन वेतनादि सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1108/दस-2020, दिनॉक 25 नवम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है। भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या:-157/2020/4137(1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
3- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।